trade in these metals has reduced. The Government have recently taken steps to increase the availability of gold in the domestic market by increasing the ceiling of gold which the returning NRIs are eligible to bring into India from 5 kgs. to 10 kgs.

बैंक हड़ताल के संबंध में छपी खबर

2469. **श्री अखिलेश दास:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1997 की बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के आह्वान के संबंध में दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 24 फरवरी, 1997 को छपी खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण है; और

(ग) सरकार बैंक कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) ने सूचित किया है कि बैंकों में शीर्ष स्तर के कर्मचारी/अधिकारी संगठनों ने दिनांक 4 अप्रैल, 1997 को राष्ट्रव्यापी गैर-हाजिर हड़ताल का प्रस्ताव किया है। मुख्य मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों में पेंशन-समझौते का कार्यान्वयन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में छठे द्विपक्षीय समझौते/अधिकारियों के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन, ग्रैच्युटी और बोनस के संबंध में उच्चतम-सीमा को हटाना तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को स्थापित न करना शामिल है। आई०बी०ए० ने यह भी सूचित किया है कि मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से अनुरोध किया गया है कि समझौता कार्रवाई शुरु करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे।

Panel of office bearers for appointment as officer-Director in Punjab and Sink Bank

2470. SHRI GURUDAS DAS-GUPTA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Finance, Banking Division, in July, 1995 asked Punjab and Sind Bank to furnish the panel of five office-bearers for appointment as Officer Director from the majority representative association of the officers of the bank;

(b) whether Punjab and Sind Bank submitted the same in October/November, 1995;

(c) whether Reserve Bank of India has also sent its recommendations to the Ministry of Finance regarding the above panel;

(d) whether no officer-nominee Director has been appointed on the Borad of Punjab and Sind Bank since nationalisation; and

(e) if so, the reasons therefor and action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) Nomination of officer employee directors on the boards of nationalised banks are made in accordance with the criteria and procedure prescribed in the relevant statutes and Government's guidelines in this regard. The guidelines were revised in July, 1995. The Punjab & Sind Bank submitted a panel of names of office bearers of the majority officers' association in the bank in accordance with these guidelines. Reserve Bank of India was consulted in the matter.

(d) No officer employee director has been nominated on the board of Punjab & Sind Bank since its nationalisation.

(e) In the light of certain representations received from some national level bank officers' associations, reexamination of the guidelines become necessary. The process of appointment of officer employee director shall be initiated as soon as the guidelines are finalised.

गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों (नॉन-परफार्मिंग एसेट्स) को कम करने के लिये कदम

2471. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों के दौरान देश के 27 बैंकों की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों को कम करने हेतु कुछ कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गये कदमो का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उठाए गये कदम के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक आर०बी०आई० ने बैंकों से कहा है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण नीति, ऋण वसूली नीति तैयार करें तथा मुख्यालय में महाप्रबंधक के प्रभार में एक वसूली कक्ष स्थापित करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ऋण मूल्यांकन तंत्र तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ऋण वसूली अधिकरणों के गठन से बैंकों को विवादित या चूक-राशियों की वसूली में सहायता मिलने की आशा है।

(ग) बैंकों ने अनिष्पादित आस्तियों में कमी की प्रवृत्ति ला कर लाभदायक स्थिति (टर्न एराउंड) प्राप्त कर ली है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों में से अनिष्पादित आस्तियों का प्रतिशत वर्ष 1993-94 के दौरान 24.78% की तुलना में वर्ष 1994-95 में 19.45% रह गया है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान और भी कम होकर 17.12% रह गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते डालने के संबंध में प्रावधान

2472. **श्री राम जेठमलानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिये सरकार ने क्या-क्या निर्देश दिये हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निर्देशों के कारण ऋण मुक्त हुये ऋण लेनदारों की ऐसे ऋणों की वार्षिक औसत राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) प्रत्येक वर्ष अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये राष्ट्रीयकरण अधिनियम अर्थात् बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

(ख) आय की पहचान और आस्तियों के वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि उन हानि वाली आस्तियों के मामले में जहां शेष बकाया राशि किसी प्रतिभूति से समर्थित नहीं है और साथ ही जहां बैंक को बही ऋणों की वसूली की कोई आशा नहीं है, बैंक द्वारा समस्त शेष बकाया राशि को बट्टे-खाते डाला जा सकता है। यदि किसी कारण से ऐसी आस्तियों को बहियों में रहने देने की अनुमति दी जाती है तो बैंक से उसके लिये 100 प्रतिशत प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है।

भारतीय रिजर्व ने बैंक ने बैंकों से कहा है कि अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने से पूर्व उक्त देय राशि को वसूल करने के सभी संभव प्रयास किये जाने चाहिये और यदि उन ऋणों की वसूली की आगे संभावनाए न हो तो बैंक के बेहतर हित में बट्टे-खाते डालने का निर्णय लिया जाए। इस उद्देश्य के लिये बैंकों से एक ऋण वसूली नीति बनाने के लिये कहा गया है जिसमें अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने संबंधी शक्तियों को स्पष्टरूप से अधिकारियों के विभिन्न स्तरों में निहित किया गया हो बशर्ते कीं, ऐसे आंकड़ों की उनके निदेशकमंडल द्वारा विधिवत जांच की गई ह। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बैंकों से कहा हो कि बट्टे-खाते